अपील सूचना अधिकार संख्या 54/2016 अनवानी जयसिंह बेंनीवाल सेवानिवृत तहसीलदार जरिये ऋषिराज सिंह एडवोकेट चैम्बर नं. 5 जिला न्यायालय परिसर हनुमानगढ़ बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जय सिंह बेनीवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री दीपक रहेजा लिपिक उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जय बेनीवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय का लिखा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2015 बाबत अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र कंमाक 532 दिनांक 08.05.1997 तहसील (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा विधि विरूद्ध गलत जारी को रदद करके दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत की प्रमाणित प्रति।
2. उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का पत्र कंमाक एफ 29(1)(2)स.क./विकास/15/7578–94 दिनांक 03.11.2015 एवं समसंख्यक पत्रांक 7851–52 दिनांक 18.11.2015 तथा सम/46–50 दिनांक 05.01.2016 पर पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति मय आर्डरशीट की प्रमाणि नकल।
3. उक्त प्रकरण मे श्री सुरेन्द्र कुमार एपीपी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्यों की प्रमाणित प्रति मय आर्डरशीट की नकल।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है वह पूर्ण रूप से उपलब्ध नही करवाई गई है। इसलिए उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे एवं उसके द्वारा चाही गई पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 2278 दिनांक 05.04.2016 निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:–

कं. सं.	प्रार्थना पत्र में अकिंत बिन्दु का वर्णन	प्रत्युतर
1.	यह कि अपीलार्थी /प्रार्थी एक सामाजिक कार्यकर्ता है।	प्रश्न का प्रत्युतर दिया जाना अपेक्षित नही है।
2.	यह कि प्रार्थी ने दि. 28.01.2016 को रजि. डाक से एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रत्यर्थी से तीन सूचनाएं मांगी गई जो निम्न प्रकार है– (1) श्रीमान जिला कलक्टर महोदय का लिखा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2015 बाबत अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र कंमाक 532 दिनांक 08.05.2017 तहसील (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा विधि विरूद्ध गलत जारी को रदद करके दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत की प्रमाणित प्रति। (2) उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर का पत्र कंमाक एफ 29(1)(2)स.क. /विकास/15/7578–94 दिनांक 03.11.2015 एवं समसंख्यक पत्रांक 7851–52 दिनांक 18.11.2015 तथा सम/46–50 दिनांक 05.01.2016 पर पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति मय ऑर्डरशीट की प्रमाणित नकल। (3) उक्त प्रकरण में श्री सुरेन्द्र कुमार, ए.पी.पी. द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्यों की प्रमाणित प्रति मय ऑर्डरशीट की नकल।	(1) श्रीमानजी, अपीलार्थी के बिन्दु सं. 1 के सम्बन्ध में अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 14.01.2016 की प्रति समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर होने पर (डिस्पेच नं. 1004–08 दिनांक 15.02.2016 की सत्यप्रति दी गई। **(छायाप्रति संलग्न)** (2) श्रीमानजी, अपीलार्थी के बिन्दु सं. 2 के सम्बन्ध में अकिंत पत्रांक पक्षकारन को आगामी सुनवाई तिथि हेतु नोटिस जारी किये गये है, आदेश इत्यादि नोटशीट पर अंकित है जिसकी सत्यप्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है **(छायाप्रति संलग्न)** (3) श्रीमानजी, अपीलार्थी के बिन्दु सं. 3 में यह स्पष्ट नही है कि वह अप्रार्थी के किस प्रार्थना पत्र की नकल चाही है, फिर भी अप्रार्थी ने जिस प्रार्थना पत्र (दिनांक 04.12.2015) के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किये है, उसी की प्रमाणित प्रतियां अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई हैं। आर्डरशीट की नकल बिन्दु सं. 2 अनुसार दी जा चुकी है। **(छायाप्रति संलग्न)**
3.	यह कि प्रार्थी द्वारा धारा 7(1) के तहत सूचना 48 घंटे में चाही थी, प्रत्यर्थी द्वारा 48 घंटे में सूचना नही अपितु सूचना शुल्क की सूचना भी प्रार्थी द्वारा बार–बार निवेदन करने में नही दी गई। दिनांक 15.02.2016 को प्रार्थी ने सम्बन्धित लिपिक से दूरभाष नम्बर 7062708539 पर वार्ता की, लिपिक ने कहा कि अभी तक सूचना शुल्क हेतु पत्र नही लिखा गया है, सूचना शुल्क 170 रूपये है, प्रार्थी ने दिनांक 16.02.2016 को भारतीय पोस्टल ऑर्डर से सूचना शुल्क रजिस्टर्ड डाक से पेश किया।	यह है कि प्रार्थी द्वारा धारा 7(1) के तहत सूचना 48 घण्टे में चाही थी। चूंकि अपीलार्थी का उक्त आवेदन इस अनुभाग में 03.02.2016 को सांय प्राप्त हुआ था, एवं जाति प्रमाण–पत्र छानबीन एवं सर्तकता समिति, श्रीगंगानगर में निम्नलिखित 05 सदस्य शामिल है– जिला कलक्टर — अध्यक्ष अति.जिला कलक्टर(प्र.) — सदस्य सचिव अति.मुख्य कार्यकारी अधि.जि.प. — सदस्य सहा.निदे.सा.न्या.अधि.विभाग — सदस्य सम्बन्धित उपखण्ड अधि. — सदस्य

२१।१
जिला कलैक्टर

उक्त कमेटी के सदस्यों द्वारा निर्णय के हर पहलू पर ध्यान दिये जाने के उपरान्त ही हस्ताक्षर होते है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। सभी सदस्यो के हस्ताक्षर होने के उपरान्त दि0 13.02.2016 को फाईल अनुभाग में सांय लगभग 6:30 बजे प्राप्त हुई है। दि0 14.02.2016 को अवकाश होने के कारण डिस्पेच नही हो पाया। दि0 15.02.2016 को डिस्पेच करवाये जाकर सम्बन्धित को प्रतिलिपि (पक्षकारान को जरिये रजिस्टर्ड डाक से) प्रषित की गई है।

निर्णय के डिसपेच होने पर ही अपीलार्थी मे सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के सम्बन्ध मे अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से आवेदन शुल्क जमा करवाने हेतु कार्यालय पत्रांक 1012 दि0 15.02.2016 का लिखा गया ।

अपीलार्थी द्वारा दि0 15.02.2016 को सम्बन्धित लिपिक से दूरभाष पर वार्ता किया जाना अंकित किया गया है और लिपिक ने कहा कि अभी तक सूचना शुल्क हेतु पत्र नही लिखा गया है सूचना शुल्क 170 रूपये है प्रार्थी ने दिनांक 16.02.2016 को भारतीय पोस्टल आर्डर से सूचना शुल्क रजिस्टर्ड डाक से पेश किया।

इस सम्बन्ध मे निवेदन है कि सम्बन्धित लिपिक पूर्ण विश्वास के साथ नही कह सकता कि किस दि0 को प्रार्थी जय सिंह बेनीवाल से वार्ता हुई है लेकिन जैसी स्थिती उस समय होती थी, उन्हे अवगत करवा दिया गया था, कभी भी मिथ्या कथन नही बताये गये। प्रार्थी द्वारा अंकन अनुसार दि0 15.02.2016 को वार्ता होने के कुछ समय बाद पत्रो पर हस्ताक्षर हो चूके थे जिसे(डिस्पेच न. 1012 दिनांक 15.02.2016) प्रषित किया गया। **(छायाप्रति संलग्न)**

श्रीमानजी, धारा 7(1) धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त हाने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासम्भव शीघ्रता से, ओर किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाये, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 मे विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगाः परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का सम्बन्ध किसी व्यक्ति की जीवन या स्वतन्त्रता से है वहा वह अनुरोध प्राप्त होने के अडतालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जायेगीः

श्रीमानजी, अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकन नही किया गया है कि उसे 48 घंटे के भीतर सूचना न मिलने से उसकी जान को किस प्रकार खतरा है और न ही कोई मैडिकल स्लिप लगा डॉक्टर की अनुशंषा प्रेषित की गई है, फिर भी यथासम्भव , यथासम्भव सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

4.	यह कि प्रत्यर्थी का पत्र कंमाक एफ 41(1)(1)विविध (सूकाअ)/ विकास/ 16/ 1151 दिनांक 19.02.2016 (जो दि. 23.02.2016 को समय 6:56 पर पोस्ट किया हुआ है) से सूचना भेजी गई है, वह सूचना अपूर्ण तथा कूटरचित अभिलखों की नकल है इससे असन्तुष्ट होकर प्रथम अपील निम्न प्रकार पेश है। (1) यह है कि आवेदन के बिन्दु 2 से आर्डरशीट की नकल दी है वह अपूर्ण तथा परिवर्तित सूचना है। दिनांक 16.11.2015 को प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर अभिलेखीय साक्ष्य पेश किये थे तथा आर्डरशीट पर उपस्थित के हस्ताक्षर थे तथा जाति प्रमाण पत्रो का नष्टीकरण विधिविरूद्ध किया है इसके सम्बन्ध मे कथन किया था वह आर्डरशीट नही दी गई हे, परिवर्तित आर्डरशीट दी है।	(1) यह कि आवेदन के बिन्दु सं. 2 में जो आर्डरशीट (नोटशीट) चल रही है, उसी की प्रमाणित प्रति दी है उसमें कुछ भी परिवर्तन नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा अंकन किया गया है कि दिनांक 16.11.2015 को प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर अभिलेखीय साक्ष्य पेश किये थे तथा आर्डरशीट पर उपस्थित के हस्ताक्षर थे तथा जाति प्रमाण पत्रो को नष्टीकरण विधिविरूद्ध किया है इसके सम्बन्ध मे कथन किया था। के सम्बन्ध मे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उपस्थिती पंजिका पर हस्ताक्षर किये गये थे न कि आर्डरशीट (नोटशीट) पर। नोटशीट पर हस्ताक्षर नही करवाये गये और न ही प्रार्थी द्वारा उपस्थिती पंजिका की नकल चाही गई है। जो साक्ष्य/दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये है, वे समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये है एवं उसका अवलोकन समिति द्वारा किया जाता है।

जिला कलेक्टर

	(2) यह कि आवेदन के बिन्दु 3 में अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2015 को प्रा.पत्र पेश कर पक्ष प्रस्तुत करने का समय मांगा था। प्रत्यर्थी द्वारा अप्रार्थी का पेश प्रार्थना पत्र मय आर्डर के नही दिया है।	(2) श्रीमानजी, बिन्दु सं. (2) में अंकन किया गया है कि आवेदन के बिन्दु सं. 3 में अप्रार्थी द्वारा 16.11.2015 को प्रा.पत्र पेश कर समय चाहा गया था, प्रत्यर्थी द्वारा अप्रार्थी का पेश प्रार्थना पत्र मय ऑर्डर के नही दिया गया है, के सम्बन्ध मे निवेदन है कि समिति द्वारा प्रकरण पर विचार करने हेतु आगामी तारीख पेशी मौखिक दी गई, जिसका अंकन नोटिस में डाला गया है, नोटशीट पर आगामी सूनवाई तिथि अंकन नही की गई है। **(छायाप्रति संलग्न)**
	(3) यह कि बिन्दु सं. 1,2,3 के सम्बन्ध मे तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी क्या–क्या रिपोर्ट अभिलेख पेश किया गया है, उपलब्ध करवाई गई सूचना में उनसे सम्बन्धित आर्डरशीट नही है अर्थात आर्डरशीट कूटरचित है, असल की नकल दिलवाई जावे, जिसमे तहसीलदार एवं एसडीएम की रिपोर्टो का अंकन हो।	(3) श्रीमानजी, इस सम्बन्ध मे निवेदन है क अपीलार्थी द्वारा उक्त समस्त अंकन सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिनांक 28.01.2016 में अंकन है जबकि तीसरा बिन्दु अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिनांक 13.02.2016 के बिन्दु सं. 2 (अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार एपीपी–I के सम्बन्ध मे तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट की गई है, की नकल मय अप्रार्थी द्वारा पेश साक्ष्यों/दस्तावेजो की नकल) द्वारा चाही गई थी। श्रीमानजी, प्रकरण में केवल उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट चाही गई थी जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। **(छायाप्रति संलग्न)**
5.	यह कि सूचना 29.02.2016 को प्राप्त हुई है, इसलिए अपील समयावधि में पेश है।	प्रत्युतर दिया जाना अपेक्षित नही है।
6.	यह है कि अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी का है। अपील स्वीकार कर बिन्दु सं. 4 की 1 से 3 की सूचना दिलवाई जावे तथा असल रिकार्ड की नकल नही देकर कूटरचित अभिलेखो की नकल दी है। जाचं करवाई जाकर दोषियों को दण्डित कया जावे।	श्रीमानजी, अपीलार्थी की अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार आपका है अपीलाथ्री को यदि लगता है कि बिन्दु सं. 4 की 1 से 3 तक की सूचना जान बूझकर असल रिकार्ड की नही देकर कूटरचित अभिलेखां की नकल दी गई है, तो जैसा श्रीमान उचित समझे अपीलार्थी स्वय रिकार्ड का अवलोकन कर जो भी सूचना चाहे, नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1151 दिनांक 19.02.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर भिजवाया गया है:–

बिन्दु सं	चाही गई सूचना	दी गई सूचना
1.	श्रीमान जिला कलक्टर महोदय का लिखा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2015 बाबत अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र कंमाक 532 दिनांक 08.05.1997 तहसील (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा विधि विरूद्ध गलत जारी को रद्द करके दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत की प्रमाणित प्रति।	इस पत्र के साथ सलंग्न है।
2.	उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का पत्र कंमाक एफ 29(1)(2)स.क./विकास /15/7578–94 दिनांक 03.11.2015 एवं समसंख्यक पत्रांक 7851–52 दिनांक 18.11.2015 तथा सम/46–50 दिनांक 05.01.2016 पर पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति मय आर्डरशीट की प्रमाणि नकल।	बिन्दु सं0 1 समाहित तथा ऑर्डर शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि इस पत्र के साथ सलंग्न है।
3.	उक्त प्रकरण मे श्री सुरेन्द्र कुमार एपीपी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्यों की प्रमाणित प्रति मय आर्डरशीट की नकल।	इस पत्र के साथ सलंग्न है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए और तृतीय पक्ष की निजि सूचना नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 से 3 की सूचना की संबंध लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो पत्र सं0 1151 दिनांक 19.02.2016 से दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और न्याय हित में लोक सूचना अधिकारी को यह भी आदेश दिया जाता है कि अपील में प्रस्तुत जबाब दिनांक 05.04.2016 की प्रति भी अपीलार्थी को भिजवाई जावे। अपीलार्थी कार्यालय में किसी निश्चित अभिलेख की सूचना लेना चाहे तो उसे नियमानुसार रिकार्ड का अवलोकन करवा दिया जावे और उसमें से अपीलार्थी जो सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा रा

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर